FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA
O/o Deputy Conservator Of Forest , Bhiwani
Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक/ 1528 दिनांक/ 25/03/2022

सेवा मे:–

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पचकूला।

विषय :– **Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.**
Proposal no. FP/HR/Others/150474/2021.

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक प्रशा–डी–तीन–10244/6849 दिनांक 09.03.2022.

उपरोक्त विषय के सम्बनध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में दिनांक 10.01.2022 को मौका निरीक्षण उपरान्त 18.99 m2 की वायलेशन पाई गई, जिसकी FOR No. 0679/086 चाक की गई तथा मुआवजा राशि (9495 रू0) प्राप्त करने के लिए श्री सुनील पुत्र मनीराम को नोटिस भेजा गया। परन्तु निर्धारित की गई तिथि 21.03.2022 को सुनील पुत्र मनीराम उपस्थित नही हुआ। अब सुनील पुत्र मनीराम को मुआवजा राशि जमा करवाने हेतु पुनः नोटिस जारी किया हुआ है। FOR तथा नोटिस की प्रति पत्र के साथ संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/यथोपरि।

उप वन संरक्षक,
भिवानी।

पृ0 क्रमांक/ .... दिनांक/ ....

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, भिवानी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि यदि दोषी निर्धारित अवधि में मुआवजा राशि का भुगतान नही करता है तो दोषी के विरूद्ध अभियोजन केस तैयार करके माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरूक्षेत्र में दायर करें।

– हस्ता –
उप वन संरक्षक,
भिवानी।

Notice Reg. No. 9-B Dated 11.03.2022.

नोटिस

विषय : भारतीय वन अधिनियम 1927 , के अनुसार ।

सुनील पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी हडोदी डा०. हडोदी थाना बाढडा तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी आपके विरूद्ध वन क्षति रिपोर्ट नं० 0679/086 Dated 10.01.2022 प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार आपके द्वारा भिवानी से लोहारू रोड पर निजि पैट्रोल पम्प के सामने वन भुमी पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके नाला का निर्माण कर लिया है। जिसका आपके द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाया गया है जो सरासर गलत है। जिसका मुआवजा 9495/-रू० बनता है। अतः आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप निम्नहस्ताक्षरी के पास दिनांक 21.03.2022 को या इससे पहले रेंज कार्यालय भिवानी में उपस्थित होकर वन भुमि की हानि का मुआवजा अदा कर देवें तथा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाएं अन्यथा आपके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32(छ) 33(ग) के अर्न्तगत केस/चालान पीठासीन अधिकारी, स्पेशल प्रर्यावरण न्यायालय कुरूक्षेत्र में कर दिया जायेगा तथा न्यायालय का खर्च भी आप पर डाल दिया जायेगा। उपरोक्त राशी के अलावा जिसमें आपको उपरोक्त राशी के रूप में जुर्माना या एक साल की सजा या दोनों भी हो सकते है।

पताः- **रेन्ज कार्यालय, वन राजिक अधिकारी, महम रोड़ नजदीक हीरो ऐजैन्सी भिवानी।**

वन खण्ड अधिकारी, O/C.
भिवानी ।

D.R.R – 8 B.F – 2021-22

वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

086

FOR Book No. 508679 0679

FOR No. ....

वन मण्डल	भिवानी
रेंज/ब्लॉक/बीट	भिवानी / भिवानी / लोहानी
रीच/जगह का नाम	भिवानी - लोहारू रोड
FOR No. (Date, Day & Time)	086/0679 10/01/2022
रिपोर्ट जारी करने वाले का नाम	मनजीत व.र.
अपराध की जानकारी का स्रोत	स्वयं द्वारा गस्त/ मुखबीर द्वारा/शिकायत
अपराध होने के तारीख/दिन/समय	
जांच अधिकारी का नाम व पद	श्री बजरंग व.र.
अपराध/घटना का विवरण संलग्न	नहीं/यदि हां तो पृष्ठ संख्या
उल्लंघना किया गया अधिनियम	IFA 1927 सैक्शन 32(ख) 33(ग)
भारतीय वन अधिनियम 1927	U/S. 32(ख) 33(ग)
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972	
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900	
भारतीय दण्ड संहिता	

	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
अपराधी का विवरण	सुनील (6283950630)	मनीराम (9501225240)	26	चमार	V.P.O. ढाणी [illegible] तह. - बाढड़ा जिला - च. दादरी

जब्त किये गये सामान का विवरण

	प्रजाति	किस्म/साइज	संख्या	मुल्य	मुआवजा राशि
जब्त वन उपज का विवरण					

	प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं0	रंग	मॉडल	उत्पादन वर्ष
जब्त व्हीकल का विवरण					
औजार/ हथियार					
अन्य, यदि कोई हो					

सही को चिन्हित करें	नजरी-नक्शा जी०पी०एस० रीडिंग सहित ✓	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया	यदि हां तो पृष्ठ संख्या
	फोटोग्राफ ✓	संलग्न/तैयार नहीं किया गया	
	विडियोग्राफी	संलग्न/तैयार नहीं किया गया	

R.O.A.C.

मनजीत [illegible]
बीट इन्चार्ज

मुखबीर/ शिकायतकर्ता/गवाह के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

व० रा० अ० भिवानी
नाम श्री कैलाश चंद
रैंक उप वन राजिक
दिनांक 10/01/2022

X

आरोपी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

Detailed Violation Report

दिनांक 10.01.2022 को गांव लोहानी में भिवानी लोहारू रोड की हलका वन रक्षक द्वारा गस्त की गई। गस्त के दौरान पाया गया कि गांव लोहानी में पैट्रोल पम्प के D-Area में सुरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करके नाले का निर्माण किया हुआ है। जिसके लिए सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी द्वारा वन विभाग से कोई अन्नापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी द्वारा वनभूमि का इस्तेमाल करके भारतीय वन अधिनियम 1927 की उल्लंघना की गई है। इस उल्लंघना के लिए सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी के खिलाफ वन अपराध रिपोर्ट नं0 086/0679 दिनांक 10.01.2022 चाक कर दी गई है तथा इसकी मंजूरी हेतू श्री सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी को एफ0 सी0 ए0 – 1980 के तहत प्रस्ताव बनाकर वन मण्डल कार्यालय, भिवानी में देने हेतू कहा गया। इस केस की स्वीकृति हेतू पैनल सी0ए0 सहित केस स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

Divisional Forest Officer,
BHIWANI FOREST DIVISION
BHIWANI

letter fca 966

नुकसान का विवरण

अवैध रूप से उपयोग की जा रही वन भूमि का विवरण निम्न है -

[11.70 mtr x 1.36 mtr , 2.27 mtr. x 1.36 mtr]

(कुल 15.91) (कुल 3.08) = 18.99 m^2